न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मनीराम बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 167/2024
निर्णय दिनांक ....3/12/25..........

मनीराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी जोरजी का बास तहसील तारानगर जिला चूरू।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा जोरजी का बास पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खसरा सं 412/297 तादादी 1.5174, हैक्ट राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी मौजा जोरजी का बास पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर में वादी का नाम मनीराम की जगह मानाराम गलत दर्ज हो गया जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेज जैसे जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व आधार कार्ड में सही नाम मनीराम है। वादी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यों में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा जोरजी का बास पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खसरा सं 412/297 तादादी 1.5174, हैक्ट में वादी का नाम मनीराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम मनीराम व मानाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वकील वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वकील वादी ने वादी मनीराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी जोरजी का बास तारानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया और वाद पत्र के संलग्न दस्तावेज प्रदर्श करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए दावा स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड में वादी का नाम मनीराम पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड व आधार कार्ड में वादी का मनीराम पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मानाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वादी पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही जोरजी का बास पटवार हल्का अलायला तहसील तारानगर के खसरा सं 412/297 तादादी 1.5174, हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी का नाम **मानाराम Delete** कर इसके स्थान पर **मनीराम** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ......3/12/25...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)